MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record...*(Interruptions)*

Nothing will go on record...*(Interruptions)*

SHRI AMAR SINGH: Sir,...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The T.V. cameras should be switched off...*(Interruptions)*

Shri Narendra Mohan.

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति जी, मैं...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record...*(Interruptions)*

The House is adjourned for 15 minutes.

The House then adjourned at six minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at twenty-nine minutes past twelve of the clock.

MR. CHAIRMAN in the Chair.

SPECIAL MENTIONS

Pitiable Condition of Safai Karamcharis due to Inadequate Laws

MR. CHAIRMAN: Shri Narendra Mohan.

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : सभापति, जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं जो आपने मुझे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी।

महोदय, सफाई कर्मचारियों की स्थिति हमारे देश में दिन प्रति दिन खराब ही होती जा रही है। आज स्थिति यह है कि उनकी आए दिन मौते हो जाती हैं। वे मेन-होल में सफाई करने के लिए जाते हैं और वहां उनका दम घुट जाता है। ऐसी घटनायें केवल दो-चार ही हो रही है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर महीने में तीन-चार ऐसी घटनायें हो ही जाती है।

पिछले दिनों ऐसी एक घटना गाज़ियाबाद में हुई जहां सफाई कर्मचारियों की मैनहोल में घुसने के कारण मौत हुई। सारे देश में इस प्रकार की मौतें होती रहती है। ऐसी कितनी मौतें हो जाती हैं, इसका विशेष आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यदि भारत सरकार के पास उपलब्ध हो तो यह आंकड़ा हमारे पास प्रस्तुत करना चाहिये। सवाल यह है कि सफाई कर्मचारियों की कार्य दशा के बारे में पिछले 50 वर्षों में क्या हुआ? भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 और 47 इस बात की घोषणा करता है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। संविधान का अनुच्छेद 47 यह कहता है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कार्य राज्य सरकार का है। अब राज्य सरकार का है, इसलिए केन्द्र सरकार केवल एक सामान्य सा कानून बना कर के अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान ले, तो यह निश्चित रूप से उचित नहीं है। सफाई कर्मचारियों के संबंध में माननीय सभापति जी, केवल एक कानून है भारत सरकार के पास, उसका नाम है — The Employment of Menial Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act, 1993. केवल इसके तहत उन्हें कार्य करना पड़ रहा है। कार्य दशाएं उनकी कैसी हैं? उनको बिना किसी उपकरण के मैनहोल में घुसना पड़ता है जहां हर तरह की गंदगी और जहरीली गैसें रहती हैं। उन्हें मास्क भी नहीं दिये जाते हैं। परिणाम यह हो रहा है कि आए दिन इस प्रकार की मौतें हो रही हैं। आज अपने देश में लगभग 10 हजार नगरों की संख्या है। हर नगर में ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please complete in three minutes.

श्री नरेन्द्र मोहन: मान्यवर, मैंने कल भी आपसे अनुरोध किया था।

श्री सभापति: तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री नरेन्द्र मोहन: मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री नरेन्द्र मोहन: आज सफाई कर्मचारियों की संख्या कम से कम डेढ़ करोड़ होनी चाहिये सारे देश में और इस विशाल वर्ग के लिए पर्याप्त कानून नहीं बनाया जाए और मौतें होती रहें, इसका कोई औचित्य नहीं है। दुनियां के तमाम देशों में जहां मैनहोल की सफाई करने के लिए बड़े-बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं, हमारे देश में भी नगरपालिकाओं के पास, महानगरपालिकाओं के पास कुछ संयंत्र हैं लेकिन अधिकांशतः फिर भी सफाई कर्मचारियों को उनमें प्रवेश कर के अपना कार्य हाथों से करना पड़ता है। वह मैनहोल में नीचे उतरते हैं जहां जहरीली गैसें होती है जिसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बन पाती है। प्रश्न यह है कि राज्य सरकारों पर इसको छोड़ दें तो क्या इससे काम चल पाएगा। भारत सरकार दुर्बल वर्ग के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति और शोषित वर्ग के प्रति बहुत चिन्तित है। परन्तु

पिछले 50 वर्षों से चिन्ता व्यक्त करते आए हैं, इसका परिणाम क्या है? चिन्ता का परिणाम यह है कि आज भी पर्याप्त कानून नहीं बना है। यह चिन्ता एक प्रकार की दिखावटी चिन्ता बन कर रह गई। जिन पर सारे समाज की स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व है, जिन पर नगरों की सफाई करने का दायित्व है, क्या उनकी रक्षा करने, वास्तविक रक्षा करने का कोई दायित्व भारत सरकार का नहीं है? मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सफाई कर्मचारियों की दशा को सुधारने के लिए, उन के लिए निश्चित रूप से विशेष कानून बनाया जाना चाहिये जबकि कामगारों, मजदूरों के लिए कानून है। अगर फैक्टरी में कोई मौत हो जाती है तो उसको कम्पनसेशन दिया जाने के लिए कानून है लेकिन सफाई कर्मचारियों की अगर मौत हो जाती है तो उसको क्या मुआवज़ा मिलेगा, इसके लिए कोई कानून भारत सरकार के पास नहीं है या किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। यह अजीब बात है कि छोटी-छोटी मौतों पर तो कानून बना देते हैं, कम्पनसेशन देते हैं लेकिन सफाई कर्मचारी जो हमारे देश की एक प्रकार की धुरी हैं, जिस पर सारे राष्ट्र का स्वास्थ्य निर्भर करता है, उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता। यही नहीं, हमारे देश में इन सफाई कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना भी होनी चाहिये जिस प्रकार की सामूहिक बीमा योजना कामगारों के लिए देश के अन्य भागों में है। हम इन सफाई कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना क्यों नहीं बना सकते हैं? सभापति महोदय, नगरपालिकाओं और महानगरपालिकाओं के लिए यह अनिवार्य कर दें कि उनके यहां जो भी सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए सामूहिक बीमा योजना को वे लागू करेंगे ताकि उनके जीवन का संरक्षण हो सके। इसी प्रकार सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी इन पर लागू की जा सकती है। सामान्य कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए ई०एस०आई० है, इंप्लायीज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है। ऐसी कोई भी स्कीम सफाई कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं बनायी जा सकती है। यह कौन सोचेगा उनके लिए? भारत सरकार ने जो कुछ भी अभी तक किया है वह तो नितांत अपर्याप्त रहा है। मैं अपनी वर्तमान सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दुर्बल वर्ग के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति वह विशेष रुचि लेकर ऐसा कानून बनाए ताकि उनकी जो मौतें हो रही हैं वह उनसे बचें। यदि इनकी कार्य दशा में सुधार नहीं होता है तो बहुत कठिनाई आ जाएगी।

आज सफाई कर्मचारी संगठित नहीं हैं। लेकिन संगठित न होने का अर्थ यह नहीं हो जाता कि उनकी उपेक्षा कर दी जाए। माननीय सभापति जी, जो भी एक यह छोटा-मोटा कानून है इंप्लायमेंट आफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन आफ ड्राई लैट्रिन्स (प्रोहिबीशन) एक्ट, इसके अंतर्गत भी भारत सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि वह राज्य सरकारों से सफाई कर्मचारियों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट मांगे कि उनकी क्या दशा है, क्या कार्यदशा है। लेकिन मेरा अनुमान है, अगर गलत हो तो भारत सरकार ठीक जानकारी देगी, कि आज तक भारत सरकार ने मेरी जानकारी के अनुसार कभी भी सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, कार्यदशा के बारे में किसी भी राज्य सरकार से कोई भी रिपोर्ट नहीं मांगी। ऐसा नहीं है कि जब मैनहोलों में जाकर मौतें हो जाती हैं तो इनकी जानकारी भारत सरकार को न मिलती हो। लेकिन भारत सरकार को मिलने के बाद भी, दिल्ली में होने वाली मौतों के बाद भी, गाजियाबाद में होने वाली मौतों के बाद भी भारत सरकार ने इन राज्य सरकारों से कोई जानकारी मांगी हो ऐसा मुझे नहीं पता चलता है जबकि उन्हें इस बात का अधिकार है कि वे इसकी जानकारी मांगें।

मेरा आपसे यह अनुरोध है सभापति जी कि आप भारत सरकार को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दें ताकि सफाई कर्मचारियों की जो दुर्दशा है वह ठीक हो सके।

कुमारी निर्मला देशपांडेय (नाम-निर्देशित): भारत सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग जो स्थापित हुआ है उसकी एक रिपोर्ट भारत सरकार को पेश हुई है जिसमें सफाई कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके दुख-दर्द दूर करने के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं। अगर सरकार उस रिपोर्ट की तरफ देखे और उस पर अमल करे तो बहुत कुछ उन्हें राहत मिल सकती है। धन्यवाद।

श्री एच० हनुमनतप्पा (कर्णाटक): सफाई कर्मचारियों के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसमें कर्णाटक सरकार ने एक लीड ली है। उन्होंने एक डेट का ऐलान किया कि इसके दूसरे दिन से मैला ढोने का इंतजाम नहीं होगा। हम सफाई कर्मचारी और भंगी मुक्ति के लिए इतना सारा बजट तैयार करते हैं कि 5,000 करोड़ चाहिए, 15,000 करोड़ चाहिए, कि एम०पीज० की, कमिश्नर की या ईस आदमियों की लैबोरेट्री कन्वर्ट करने की स्कीम बना रहे हैं लेकिन एक दिन तय नहीं करते कि इसके दूसरे दिन से यह सर्विस नहीं मिलेगी। जो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वे खुद

कर लेंगे। जो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनको अगर जरूरत हो तो सब्सिडी दें, पैसा दें।

उसको बंद करने का मन नहीं है। इसमें पोलिटिकल विल नहीं है। इसीलिए सफाई कर्मचारी आयोग, इसके बजट का इंतजाम आदि यह सब हो रहा है। कर्णाटक में हमने एक दिन यह डिसिजन ले लिया कि कल से इसका इंतजाम नहीं होगा। अपने आप कन्वर्ट हो गया। उन लोगों को पूर्णकार्मिक बना दिया स्वीपिंग के लिए और मैला ढोने का काम बंद करा दिया। ऐसा मन नहीं है। कहते हैं हम तो पैसा इकट्ठा जोड़ते हैं कि 15,000 करोड़ चाहिए, 50,000 करोड़ चाहिए। यह बोलकर उसको टालते जा रहे हैं। सिम्पैथी नहीं है। इसके लिए पोलिटिकल विल चाहिए, मन चाहिए। यह अपमानजनक काम है। इसको बंद करना चाहिए। किसी भी आदमी को दूसरे का ढोने का बंद करना चाहिए। यह मन करने की जरूरत है। पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा अपने आप आ जाएगा। जैसे दिल्ली में जितने क्वार्टर्स हैं उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इतना पैसा हो जाएगा। क्या जरूरत है? जो कन्वर्ट कर सकते हैं वे खुद कन्वर्ट कर लेंगे। जो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसके लिए अगर सहायता चाहिए तो कर्ज दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन बंद करने का मन नहीं है। यह मन बनाना है और पोलिटिकल विल की जरूरत है। यह करने से वह भंगी मुक्ति हो सकती है, नहीं तो सिम्पैथी से, बातों से यह नहीं होगा।

श्री नरेन्द्र मोहन: क्या आप विशेष कानून की आवश्यकता नहीं समझते?

श्री सभापति: चलिए हो गया।

श्री एच० हनुमनतप्पा: कानून से नहीं होगा यह काम।

V.H.P.'s plan to construct Ram Temple at Ayodhya

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I rise to draw the attention of the Prime Minister and the Government to a serious matter of preparations by the VHP to construct a Ram temple at Ayodhya. Sir, according to the reports and according to the evidence, the preparation is going on for some time. According to *The Hindu*, a national daily, it is going on at three places, Sompura Marble Industries and Temple Works, Madhava Shilpa Kala Kendra, and Bharat Shilpa Kala Kendra. At three places it is going on. It is confirmed by Mr. Singhal, who is President of the VHP. Asserting that the temple would be definitely built at the disputed site, Mr. Singhal said, "Stone carving work is being carried out by Shri Ram Temple Nyas." This is reported by the *Hindustan Times* yesterday. It is very clear that the preparation is going on. Apart from making statements and assurances, nothing is being done by the Government. We cannot believe what the Government or the leaders of the Government say today. Sir, we all remember and you also remember the black day in the history of India, December 6, 1992. That day everybody expected that the assurance given by Mr. L.K. Advani, the present Home Minister, in the other House, as well as the assurance given by persons like Mr. Murli Manohar Joshi in this House and also the undertaking given by the then Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Kalyan Singh, before the Supreme Court would be fulfilled. Everybody expected that the assurances would be kept. What was the assurance? Even in the National Integration Council and everywhere they said that no harm would be done to the Babri Masjid. Everybody knows what happened then and what happened later in this country. A number of people were killed and tension was created. Indian people faced an ordeal abroad. I myself am a witness to it. I went abroad to certain countries to see how people of those countries were reacting to this. They thought that this was the land of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru where secularism is one of the major faiths of the Indian people. We destroyed this in December, 1992.

The preparation is going on every day and I am afraid. I am raising this specifically because today the same person is the Chief Minister of that State. He is the same person who has violated and went for a days imprisonment for contempt of the Supreme Court. The same person is the Chief Minister today. The House cannot have trust in that